लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4960 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

पत्रांक BRLPS-LSBA/Estt/07/16/619 दिनांक: 25-01-18

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह, बि०प्र०से०
प्रशासी पदाधिकारी–सह–राज्य समन्वयक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष
जिला जल एवं स्वच्छता समिति
बिहार।

विषयः माननीय मुख्यमंत्री के 'निश्चय यात्रा' एवं 'विकास समीक्षा यात्रा' के दौरान ''शौचालय निर्माण,घर का सम्मान'' निश्चय से संबंधित विडियोग्राफी फूटेज प्रेषित करने के सम्बन्ध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जिला प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर आई०ई०सी०/बी०सी०सी० गतिविधियों को समायोजित कर कार्यक्रम को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में, शौचालय के उपयोग हेतु व्यवहार परिवर्तन के प्रभावी प्रचार–प्रसार एवं पारस्परिक संचार हेतु राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वारा एक लघु चलचित्र तैयार किया जा रहा है।

विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा 'निश्चय यात्रा' एवं 'विकास समीक्षा यात्रा' के दौरान ''शौचालय निर्माण, घर का सम्मान'' निश्चय संबंधित कार्यों की स्थल भ्रमण किया गया है एवं उनके द्वारा अपने जन–सम्बोधन में 'खुले में शौच से मुक्त' संबंधित व्यवहार परिवर्तन पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है। स्पष्ट है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किये गये स्थल भ्रमण एवं जन–सम्बोधन में चर्चा पारस्परिक संचार का सर्वोत्तम उदाहरण है।

अतः निदेशानुसार सूचित करना है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निश्चय एवं विकास समीक्षा यात्रा के दौरान शौचालय निर्माण एवं खुले में शौच से मुक्त, व्यवहार परिवर्तन एवं पारस्परिक संचार संबंधित माननीय मुख्यमत्री जी के विडियो फूटेज का आवश्यक रूप से राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को प्रेषित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

25/1/18

(राजीव कुमार सिंह)

प्रतिलिपि :–

1. सभी जिला सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. सभी निदेशक– DRDA सह सचिव, जिला जल एवं स्वच्छता समिति सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. सभी उप विकास आयुक्त–सह–उपाध्यक्ष, जिला जल एवं स्वच्छता समिति को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
5- विकास आयुक्त, बिहार सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।